प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा दिनांक 16.02.2021

पत्र के माध्यम से 4 लाख रुपये की रंगदारी मौसम वैज्ञानिक से मांगने वाले अभियुक्तगण घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार

दिनांक 07.02.2021 को वादी श्री नलनीश कुमार चौधरी(मौसम वैज्ञानिक) पुत्र श्री नन्द किशोर चौधरी निवासी शताब्दीपुरम थाना गुलरिहा गोरखपुर से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 4 लाख रुपये की रंगदारी मांगने से सम्बन्धित धमकी भरा पत्र मिलने के आधार पर थाना गुलरिहा पर मु0अ0स0 52/21 धारा 506,386 भादवि पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण के सम्बन्ध मे पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा कड़े निर्देश दिये गये थे। जिनके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण मे, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व एवं निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा को मय टीम के साथ उपरोक्त घटना के अनावरण व घटना मे शामिल अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। दिनांक 05.02.21 को एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पडोस मे रहने वाली महिला आशा देवी के माध्यम से 4 लाख रुपये की रंगदारी से सम्बन्धित धमकी भरा पत्र वादी के घर भिजवाया गया था । करीब दो कि0मी0 के दायरे मे लगे सीसीटीवी फुटेज देखा गया तथा मोटर साइकिल पर आये अज्ञात व्यक्तियों को एवं मोटरसाइकिल को सीसीटीवी के आधार पर महिला आशा देवी से पहचान करायी गयी तो उसने पत्र देने वाले व्यक्तियों एवं गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज मे पहचान की। घटना मे प्रयुक्त होंडा शाइन गाड़ी की जांच आरटीओ कार्यालय से करायी गयी तो गाड़ी पर रजि0 नं0 UP53CP 6979 के आधार पर वाहन स्वामी का नाम निशा पत्नी हरिद्वार निवासी हरदिया पिछौरा थाना बेलीपार गोरखपुर प्रकाश मे आया । वाहन स्वामीनी निशा से पुछताछ पर ज्ञात हुआ कि उक्त गाड़ी का प्रयोग उसके भाई वीरेन्द्र निषाद पुत्र सुग्रीव निषाद निवासी नन्दानगर थाना खोराबार द्वारा किया जाता है। जब वीरेन्द्र निषाद उपरोक्त से पुछताछ की गयी तो उसने बताया कि रामकेश गुप्ता पुत्र वंशी गुप्ता निवासी हुमायुपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ गोरखपुर से मिलकर अपनी मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम दिये थे। दोनो अभियुक्तगण द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया गया रामकेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि रंगदारी हेतु पत्र उसने ही लिखा था। अभियुक्त रामकेश गुप्ता से अन्य सादे कागज पर लिखवाकर मिलान करवाया गया जो हुबहु दिये गये पत्र के लेख से मेल खा रहा है। महिला आशा देवी से दोनो अभियुक्तगणो व प्रयुक्त मोटरसाइकिल की पहचान करायी गयी तो उसने तुरन्त अभियुक्तगणें एवं मोटरसाइकिल की पहचान कर ली। इस प्रकार घटना का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पताः-

1- रामकेश गुप्ता पुत्र वंशी गुप्ता निवासी हुमायुपुर उत्तरी निकट शिव मंदिर थाना गोरखनाथ गोरखपुर

2-वीरेन्द्र निषाद पुत्र सुग्रीव निषाद निवासी नन्दानगर एफसीआई रेलवे क्रासिंग थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः-

शिवपुर शहबाजगंज मिलन चौक दिनांक 16.02.21 समय 12.30 बजे

अभियुक्त के पास से बरामदगी का विवरण

घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल होंड़ा साइन UP53CP 6979

अभियुक्त को जिन मुकदमों में गिरफ्तार किया गया का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 52/21 धारा 506,386 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम पद

1. प्र0नि0 रवि कुमार राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
2. नि0 रामभवन यादव प्र0 क्राइम थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 गौरव राय कन्नौजिया चौकी मेडिकल कालेज थाना गुलरिहा गोरखपुर।
4. उ0नि0 दशरथ कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
5. उ0नि0 दीनबन्धु प्रसाद थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
6. हे0का0 कामेश्वर दुबे थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
7. हे0का0 अनिल कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर